



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272711
CG-DL-E-19052026-272711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2398]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2398]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2490(अ).— केन्द्रीय सरकार उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 114 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार, उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर खानों की दशा में अपराध शमन अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता (क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)
1.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, मध्य क्षेत्र।	बिहार राज्य में अधिकारिता वाला मध्य क्षेत्र और झारखंड का कुछ भाग जिसका मुख्यालय धनबाद (झारखंड) में है, जिसमें धनबाद क्षेत्र-1, धनबाद क्षेत्र-2, धनबाद क्षेत्र-3 और कोडरमा क्षेत्र शामिल हैं।

2.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, पूर्वी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र जिसकी अधिकारिता पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में है, जिसका मुख्यालय सीतारामपुर (पश्चिमी बंगाल) में है, जिसमें सीतारामपुर क्षेत्र-1, सीतारामपुर क्षेत्र-2, सीतारामपुर क्षेत्र-3 और गुवाहाटी क्षेत्र शामिल हैं।
3.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र	ओडिशा राज्य में अधिकारिता वाले दक्षिण पूर्वी जोन और झारखंड के कुछ भाग जिसका मुख्यालय रांची (झारखंड) में है, जिसमें रांची क्षेत्र, चाईबासा क्षेत्र, भुवनेश्वर क्षेत्र-1 और भुवनेश्वर क्षेत्र-2 शामिल हैं।
4.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की अधिकारिता वाले दक्षिण मध्य क्षेत्र जिसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है जिसके अंतर्गत हैदराबाद क्षेत्र-1, हैदराबाद क्षेत्र-2, हैदराबाद क्षेत्र-3 और नेल्लोर क्षेत्र शामिल हैं।
5.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, दक्षिणी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र जिसकी अधिकारिता कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों और लक्षद्वीप द्वीप समूह और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु (कर्नाटक) में है, जिसमें बेंगलुरु क्षेत्र, बेल्लारी क्षेत्र-1, बेल्लारी क्षेत्र-2 और चेन्नई क्षेत्र शामिल हैं।
6.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र जिसकी अधिकारिता महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में है जिसका मुख्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) में है, जिसमें नागपुर क्षेत्र-1, नागपुर क्षेत्र-2, बिलासपुर क्षेत्र-1, बिलासपुर क्षेत्र-2, रायगढ़ क्षेत्र और गोवा क्षेत्र शामिल हैं।
7.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसकी अधिकारिता क्षेत्र गुजरात, राजस्थान राज्यों और दमन, दादरा और नागर हवेली और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में है, जिसका मुख्यालय उदयपुर (राजस्थान) में है, जिसमें अहमदाबाद क्षेत्र-1, अहमदाबाद क्षेत्र-2, सूरत क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र-1 और अजमेर क्षेत्र-2 शामिल हैं।
8.	खान सुरक्षा उप महानिदेशक, उत्तरी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र जिसकी अधिकारिता क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र में है जिसका मुख्यालय गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में है, जिसमें गाजियाबाद क्षेत्र, श्रीनगर क्षेत्र, परासिया क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र और वाराणसी क्षेत्र शामिल हैं।

[फा. सं. एस-65025/21/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2490(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 114 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby notifies the officers mentioned in column (2) of the table below to be the officer for composition of offences in case of mines within the limits of their respective jurisdiction as specified in column (3) of the Table below:-

TABLE

Sl. No.	Designation of Officer	Jurisdiction (Area)
(1)	(2)	(3)
1.	Deputy Director General of Mines Safety, Central Zone.	Central Zone having jurisdiction in the State of Bihar and part of Jharkhand with headquarters at Dhanbad (Jharkhand), comprising of Dhanbad Region-1, Dhanbad Region-2, Dhanbad Region-3 and Koderma Region.
2.	Deputy Director General of Mines Safety, Eastern Zone	Eastern Zone having jurisdiction in the States of West Bengal, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Tripura and union territory of Andaman and Nicobar Islands with Headquarter at Sitarampur (West Bengal), comprising of Sitarampur Region-1, Sitarampur Region-2, Sitarampur Region-3 and Guwahati Region.
3.	Deputy Director General of Mines Safety, South Eastern Zone	South Eastern Zone having jurisdiction in the State of Odisha and Part of Jharkhand with headquarters at Ranchi (Jharkhand), comprising of Ranchi Region, Chaibasa Region, Bhubaneswar Region-1 and Bhubaneswar Region-2.
4.	Deputy Director General of Mines Safety, South Central Zone	South Central Zone having jurisdiction in the States of Telangana and Andhra Pradesh with headquarters at Hyderabad (Telangana), comprising of Hyderabad Region-1, Hyderabad Region-2, Hyderabad Region-3 and Nellore Region.
5.	Deputy Director General of Mines Safety, Southern Zone	Southern Zone having jurisdiction in the States of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and union territories of Lakshadweep Islands and Puducherry with headquarters at Bengaluru (Karnataka), comprising of Bengaluru Region, Bellary Region-1, Bellary Region-2 and Chennai Region.
6.	Deputy Director General of Mines Safety, Western Zone	Western Zone having jurisdiction in the States of Maharashtra, Chhattisgarh and Goa with headquarter at Nagpur (Maharashtra), comprising of Nagpur Region-1, Nagpur Region-2, Bilaspur Region-1, Bilaspur Region-2, Raigarh Region and Goa Region.
7.	Deputy Director General of Mines Safety, North Western Zone	North Western Zone having jurisdiction in the States of Gujarat, Rajasthan and union territories of Daman, Dadra and Nagar Haveli and Diu, with Headquarters at Udaipur (Rajasthan), comprising of Ahmedabad Region-1, Ahmedabad Region-2, Surat Region, Udaipur region, Ajmer Region-1 and Ajmer Region-2.
8.	Deputy Director General of Mines Safety, Northern Zone	Northern Zone having jurisdiction in the States of Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh and union territories of Delhi, Chandigarh, Jammu and Kashmir and Ladakh with headquarters at Ghaziabad (Uttar Pradesh), comprising of Ghaziabad Region, Srinagar Region, Parasia Region, Jabalpur Region, Gwalior Region and Varanasi Region.

[F. No. S-65025/21/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor